કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ
શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય, ભારત સરકાર
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(M.O.L.E., Government of India)
क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
सत्यमेव जयते
પેટા પ્રાદેશિક કચેરી, પંચદીપ ભવન, ઉર્મી સોસાયટી, અલ્કાપુરી, વડોદરા - 390007
उप क्षेत्रीय कार्यालय, पंचदीप भवन, उर्मी सोसायटी, अल्कापुरी, वड़ोदरा - 390007
Sub Regional Office, Panchdeep Bhawan, Urmi Society, Alkapuri, Vadodara - 390007
e. : dir-vadodara@esic.gov.in Ph. 0265 2307410
ins-vadodara.gj@esic.gov.in 0265 2307411

नं.- 38/D/35/11/Holiday Home/25/Gen, दिनांक: 05-08-2025

प रि प त्र

विषय : केवड़िया, एकतानगर (गुजरात) में "हॉलीडे होम" हेतु
BRG होटल के साथ अनुबंध की अवधि वृद्धि के संबंध में।

यह सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि केवड़िया, एकतानगर (गुजरात) में स्थित हॉलीडे होम हेतु होटल BRG Budget Stay के साथ अनुबंध, आगामी एक वर्ष अर्थात् 01/08/2025 से 31/07/2026 तक विस्तार किया गया है । हॉलीडे होम की संपूर्ण जानकारी एवं नियम और शर्तें निम्नानुसार पूर्ववत् रहेंगी :

होटल का नाम एवं पता	आवास विवरण	प्रति कमरा अनुमत व्यक्ति	संपर्क विवरण
Hotel BRG Budget Stay, (Unit of Anay Assiciates), Opp. Rajiv One Police Line, Near Arogyavan, Kevadiya, Ektagatar, Gujarat – 393151	02 डबल बेड (एसी रूम)	02 वयस्क + 02 बच्चें (10 वर्ष से नीचे)	संयुक्त निदेशक (प्रभारी), सामान्य शाखा, उप क्षेत्रीय कार्यालय, उर्मी सोसायटी, अलकापुरी, वड़ोदरा – 390007 ईमेल: dir-vadodara@esic.nic.in फोन : 0265 – 2307400 / 414

नियम एवं शर्तें:

1. हॉलीडे होम का आवंटन मुख्यालय के परिपत्र सं. D-11/27/TOR/Policy/09/CT दिनांक 22.12.2009 में निर्धारित नियमों एवं दरों के अनुसार किया जाएगा।
2. कक्ष बुकिंग "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर की जाएगी। बुकिंग तिथि से 60 दिन पूर्व प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. बुकिंग निरस्तीकरण की सूचना कम-से-कम 15 दिन पूर्व देना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित अधिकारी के वेतन से राशि वसूल की जाएगी।
4. सभी आवेदन नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित कर संयुक्त निदेशक (प्रभारी), सामान्य शाखा, वड़ोदरा या dir-vadodara@esic.nic.in पर निर्धारित प्रारूप में भेजे जाएँ। सीधे प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे (सेवानिवृत्त कर्मियों को छोड़कर)।

5. अतिरिक्त किसी व्यक्ति के ठहरने की अनुमति नहीं होगी और केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवास मिलेगा जिनके नाम पर बुकिंग है।
6. ESIC सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शुल्क वेतन से कटौती होगी | पेंशनर होटल में चेक-इन के दौरान काउंटर पर शुल्क जमा करेंगे | हालाँकि, प्राइवेट व्यक्ति को मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 22.12.09 के पॉइंट नंबर 03 के अनुसार चालान से शुल्क जमा करने के बाद बुकिंग की पुष्टि भेजी जाएगी|
7. अतिथि को कार्यालय द्वारा जारी आवंटन आदेश, कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र और अन्य कोई पहचान पत्र होटल प्रबंधन को मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. होटल केवल निःशुल्क नाश्ता (CP योजना) देगा। भोजन/बेवरेज पर मेनू मूल्य पर 10% छूट होटल प्रबंधन द्वारा दी जाएगी।
9. अधिकतम 5 दिनों के लिए ठहरने की अनुमति है। चेक-इन/आउट समय: दोपहर 12:00 बजे।
10. नशीले पदार्थों एवं धूम्रपान की अनुमति नहीं होगी। आवंटी को मर्यादा व शिष्टाचार बनाए रखना होगा, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता मान्य नहीं होगी।
11. स्टेचू ऑफ़ यूनिटी हर सोमवार को बंद रहता है ।

यह परिपत्र संयुक्त निदेशक (प्रभारी) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

Digitally signed by
SENGAL JITENDRA B
Date: 05-08-2025
14:11:38

शाखा अधिकारी, सामान्य शाखा
उ.क्षे.का., क.रा.बी.नि., वड़ोदरा ।

प्रति :

सभी क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय / क.रा.बी.नि. अस्पताल /SMO कार्यालय।

प्रतिलिपि,

1.महानिदेशक (सामान्य शाखा), मुख्यालय, क.रा.बी.नी., नई दिल्ली |

2. बिमा आयुक्त, (उत्तर क्षेत्र / दक्षिण क्षेत्र / पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / उत्तर - पूर्व क्षेत्र)

3. पी.आर. शाखा, उ.क्षे.का., क.रा.बी.नि, वडोदरा को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

3. वेबसाइट कंटेंट मैनेजर, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली (मुख्यालय वेबसाइट पर अपलोड हेतु)।